

5/



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), 1 करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002  
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)  
1, Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2018-19

दिनांक: 18/04/2018

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

- |  |   |
|--|---|
| (1) वे.ले.का.(अ.श्रे.) डी आर सी फ़ैज़ाबाद  | (6) वे.ले.का.(अ.श्रे.) आर आर सी फतेहगढ़         |
| (2) वे.ले.का.(अ.श्रे.) एस एल आई फतेहगढ़    | (7) स्था. ले. का. (भं.) सी ओ डी छिवकी, इलाहाबाद |
| (3) स्था. ले. प. अ. का.(भंडार) कानपुर      | (8) स्था. ले. का. (अ) बबीना                     |
| (4) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म. क.) कानपुर | (9) संबंधित अनुभाग, मुख्य कार्यालय लखनऊ         |
| (5) स. ले. का. (भ. भं.) लखनऊ               |   |

विषय: क्षे.प्र.के. लखनऊ प्रशिक्षण: नवनियुक्त लेखा परिक्षकों/लिपिकों का प्रवेश पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित लेखा परीक्षकों/लिपिकों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 07/05/2018 से 29/06/2018 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय/अनुभाग
1	शैलेश कुमार	8341816	ले. प.	स. ले. का. (भ. भं.) लखनऊ
2	रोहित कुमार	8341817	ले. प.	मुख्य कार्यालय, लखनऊ
3	दीप्ति यादव	8341819	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म. क.) कानपुर
4	अमन राठोर	8341820	ले. प.	स्था. ले. का. (भं.) सी ओ डी छिवकी, इलाहाबाद
5	उज्वल विशाल	8341821	ले. प.	स्था. ले. का. (भं.) सी ओ डी छिवकी, इलाहाबाद
6	गुंजन कुमार पांडे	8341823	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) डी आर सी फ़ैज़ाबाद
7	आशुतोष तिवारी	8341827	लिपिक	स्था. ले. का. (भं.) सी ओ डी छिवकी, इलाहाबाद
8	असीमा शुक्ला	8341828	ले. प.	स्था. ले. का. (भं.) सी ओ डी कानपुर
9	शिवांगी सक्सेना	8341829	लिपिक	स्था. ले. का. (अ) बबीना
10	राहुल कुमार यादव	8341830	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) आर आर सी फतेहगढ़
11	आलोक कुमार	8341831	लिपिक	वे.ले.का.(अ.श्रे.) एस एल आई फतेहगढ़

- सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- कर्मचारियों को अपने कार्यालय से कार्य-मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
- यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

— ३ —

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)